years and thereafter @ US $ 4.875 million per annum.

(a) Not Sirj The cable operators, as ATN-Canada, Asisnet-U.K. & USA, Apna TV-U.K., Europe & USA have taken no objection certificate from DG: Doordarshan to downlink Doordarshan International signals in footprint coverage* of countries of PAS-4 and PAS-1. Similar requests from agencies in London, Middle East and USA are also under consideration.

(b) An expenditure of Rs. 6.48 crore has been incurred on the lease of transponders for Doordarshan International during 1996 and the gross revenue generif ated was Rs. 85.33 lakh during the year 1996.

(c) No, Sir. Because Doordarshan is a public broadcaster.

**Committee set-up to review PRB Act, 1867**

2528. SHRI JAGIR SINGH DARD: DR. SHRIKANT RAM-CHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(b) whether a Committee was set up to review the Press and Registration of Books Act, 1867;

(c) if so, when it submitted its report and what are its recommendations;

(a) what steps have been taken by Government to implement its report; and

(b) by when will the report be fully implemented?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C. M. IBRAHIM): (a) and (b) Yes, Sir. The Special Review Group submitted its report to the Government in December, 1994. It has made a total of 35 recommendations for facilitating registration of newspapers and simplifying the procedures prescribed under the Press and Registration of Books Act, 1867 (PRB Act). These pertain to definition of 'newspaper', title verification, filing of declaration for registration of newspapers, de-blocking of titles, registration of newspapers/periodicals, Annual Statement to be submitted by newspapers, submission of Annual Report by RNI to the Government, circulation verification and simplification of various forms.

(c) and (d) Based on the recommendations of the Group, Government propose to amend the PRB Act, 1867 by introducing a Bill after completion of various formalities such as consultation with the concerned Ministries, approval of the Cabinet etc. At this stage, it is not possible to indicate any timeframe in this regard.

**दूरदर्शन में अस्थायी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि**

2529. **श्रीमती मालती शर्मा**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन महानिदेशालय ने दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रो/ कार्यालयों में 10 दिन के नियत कार्य के आधार पर कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में हाल ही में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप दूरदर्शन समाचार विंग में 10 दिन के नियत कार्य के आधार पर कार्यरत अस्थायी आशुलिपिक सहायकों का पारिश्रमिक अस्थायी टंककों के पारिश्रमिक से कम हो गया है;

(घ) क्या सरकार को समाचार विंग से अस्थायी आशुलिपिकों के पारिश्रमिक को बढाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ड़) यदि हां, तो इस संबंध में कोई अन्तरिम निर्णय कब तक लिया जायेगा?

**नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम):**

(क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्र विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिए)

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ड़) आशुलिपिकों के शुल्क में संशोधन सबंधी निर्णय अविलम्ब लिया जाएगा।

**विवरण**

**दिनांक 1.6.96 से दूरदशन द्वारा निर्धारित नैमित्तिक कलाकरों की संशोधित दरें**

**आंध्र प्रदेश में स्थानीय दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा समुद्री तूफान की पूर्व चेतावनी**

| क्र. स. | पद के वेतन एवं ब्यौरे | एक महीने में अधिकतम 10 दिन सौपे कार्य के साथ-साथ प्रति सौपे कार्य का भुगतान |
|---|---|---|
| 1. | 1400-2600/- रू. (प्रस्तुति हायक/ग्राफिक्स सहायक, विडियो/ फिल्म सम्पादक, रूपसज्जा सहायक आदि) | 260/- रू. |
| 2. | 1400-2300/- रू.(प्रकाश सहायक/ प्रकाश मैंन आदि) | 190/- रू. |
| 3. | 1200-1800/- रू. (मंच सहायक/फिल्म प्रोजेक्शनिष्ट, बढई, पेंटर, दर्जी आदि) | 175/- रू. |
| 4. | 950-1500/- रू. (टंकक, सामान्य सहायक, करक्टर जनरेटर आपरेटर) | 140/- रू |

2530. **डा. वाई. लक्ष्मी प्रसाद**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हाल ही में आये तूफान के सबंध में पूर्व सूचना की चेतावनी दूरदर्शन के स्थानीय केन्द्रों द्वारा ठीक समय पर प्रसारित की गयी;

(ख) यदि हां, तो उक्त चेतावनी और उसके समयों के संबंध में प्रसारण करने वाले केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई ऐसी योजना बनायी गयी है जिससे कि स्थानीय दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा हर घन्टे के बाद ऐसी आपदाओं की पूर्व सूचना प्रसारित कि जा सके;

(घ) यदि नही, तो क्या ऐसी योजना की आवश्यकता महसूस नही की गयी है; यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है, और

(ड़) इस योजना में राज्य सरकारों की क्या भूमिका नियत की गयी है?

**नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम)**: (क) जी, हां ।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद ने इस प्रयोजनार्थ संलग्र विवरण के अनुसार 15 बुलेटिन प्रसारित किए । (नीचे देखिए)

(ग) चक्रवात की चेतावनी देने सहित विशेष बुलेटिनों की आवृति समय की आवश्यकता पर आधारित होगी ।

(घ) प्रश्न नही उठता ।

(ड़) सामान्यतः विशेष उदघोषणाओं/ प्रसारण हेतु निवेदन राज्य सरकार से भी प्राप्त होते है ।